



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265037
CG-DL-E-28072025-265037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947

No. 457]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 500(अ).—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के विधिक मापविज्ञान (साधारण) दूसरा संशोधन नियम, 2025 से संबंधित दिनांक 21 अप्रैल, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242 (अ) में,-

(i) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 18 में, हिंदी में “सा. का. नि. 242” को “सा. का. नि. 242(अ) पढ़ा जाए”;

[फा. सं. डब्ल्यूएम-9(39)/2015]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव